डाक-व्यय की पूर्व अदायगी के बिना डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत. अनुमति-पत्र क्र. रायपुर-सी.जी.

पंजी क्रमांक रायपुर डिवीजन



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 138] रायपुर, गुरूवार , दिनांक 21 जून 2001—ज्येष्ठ 31, शक 1923

वित्त, वाणिज्यिक कर, योज़ना, आर्थिक एवं सांख्यिकी, 20 सूत्रीय क्रियान्वयन विभाग

मंत्रालय, डी. के. एस. भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 21 जून 2001

अधिसूचना

क्रमांक एफ/10-258/2001/वा.कर/पांच (27).—छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर अधिनियम, 1994 (क्रमांक 5 सन् 1995) की धारा 17 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, नीचे दी गई अनुसूची के कालम (2) में विनिर्दिष्ट माल के वर्ग को कालम (3) में विनिर्दिष्ट सीमा तक, उक्त अनुसूची के कालम (4) में विनिर्दिष्ट निर्बन्धनों तथा शर्तों के अधीन शासकीय राजपत्र में प्रकाशन दिनांक से 31-3-2002 तक की कालावधि के लिए उक्त अधिनियम के अधीन कर के भुगतान से छूट प्रदान करती है :—

अनुसूची

अ.क्र. (1)	माल का वर्ग (2)	छूट की सीमा (3)	निर्बन्धन तथा शर्तें जिनके अध्यधीन रहते हुए छूट प्रदान की गई है. (4)
1.	अनुसूची दो के भाग 5 की प्रविष्टि 19 एवं 20 के अनुसार अनाज तथा दलहन.	अंशतः इस प्रकार जिससे धारा 9 एवं 10 के अधीन कर की दर घटकर 2 प्रतिशत हो जाय.	

Raipur, the 21st June 2001

NOTIFICATION

No. F/10-258/2001/CT/V(27).—In exercise of powers conferred by Section 17 of Chhattisgarh Vanijiyik Kar Adhiniyam, 1994 (No. 5 of 1995) (hereinafter referred to as Adhiniyam), the State Government, hereby, exempts the class of goods specified in column (2) of the schedule below from payment of tax under the said Adhiniyam from the date of publication in the Official Gazette upto 31st march 2002, to the extent specified in column (3), subject to the restrictions and conditions specified in column (4) of the said schedule :—

SCHEDULE

S. No.	Class of goods	Extent of exemption	Restrictions and conditions subject to which Exemption is granted.
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Cereals and pulses as specified in serial No. 19 & 20 of part V of Schedule II.	Partly so as to reduce the rate of tax under Section 9 & 10 to 2%.	

रायपुर, दिनांक 21 जून 2001

अधिसूचना

क्रमांक एफ/10-259/2001/वा.कर/पांच (28).—छत्तीसगढ़ स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1976 (क्रमांक 52 सन् 1976) की धारा 10 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, नीचे दी गई अनुसूची के कालम (2) में विनिर्दिष्ट माल के वर्ग को कालम (3) में विनिर्दिष्ट सीमा तक, उक्त अनुसूची के कालम (4) में विनिर्दिष्ट निर्बन्धनों तथा शर्तों के अधीन शासकीय राजपत्र में प्रकाशन दिनांक से 31-3-2002 तक की कालावधि के लिए उक्त अधिनियम के अधीन कर के भुगतान से छूट प्रदान करती है :—

अनुसूची

अ.क्र.	माल का वर्ग	छूट की सीमा	निर्बन्धन तथा शर्तें जिनके अध्यधीन रहते हुए छूट प्रदान की गई है.
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	अनुसूची दो की प्रविष्टि 8 के अनुसार सभी प्रकार का कपड़ा.	अंशत: इस प्रकार जिससे प्रवेश कर की दर घटकर 1 प्रतिशत हो जाय.	

Raipur, the 21st June 2001

NOTIFICATION

No. F/10-259/2001/CT/V (28).—In exercise of powers conferred by Section 10 of Chhattisgarh Sthaniya Kshetra Me Mal Ke Pravesh Par Kar Adhiniyam, 1976 (No. 52 of 1976) (hereinafter referred to as Adhiniyam), the State Government hereby exempts the class of goods specified in column (2) of the schedule below from payment of tax under the said Adhiniyam from the date of publication in the Official Gazette upto 31st march 2002, to the extent specified in column (3), subject to the restrictions and conditions specified in column (4) of the said schedule :—

SCHEDULE

S. No.	Class of goods	Extent of exemption	Restrictions and conditions subject to which Exemption is granted.
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	All varieties of cloth as specified in entry 8 of Schedule II.	Partly so as to reduce the rate of entry tax to 1%.	

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एच. एल. प्रजापति, सचिव.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2001.